पहले दिन मिले 30,136 आवेदन

पटना। राज्य में लोक सेवाओं के अधिकार (आरटीएस) कानून पर काम शुरू होने के पहले ही दिन विभिन्न जिलों में 30,136 आवेदन प्राप्त हुए। मंगलवार को सामान्य प्रशासन विभाग के प्रधान सचिव दीपक कुमार ने प्रशासनिक सुधार मिशन के अफसरों के साथ राइट टू सर्विस एक्ट पर कामकाज की समीक्षा की।

सामान्य प्रशासन विभाग के प्रधान सचिव ने बताया कि सबसे अधिक 11338 आवेदन आवासीय प्रमाण पत्र के संबंध में मिले हैं। इसके बाद 7285 आवेदन जाति प्रमाण पत्र बनवाने और 4851 आवेदन आय प्रमाण पत्र बनवाने के लिए दिये गये हैं।

तीनों प्रमाण पत्र बनाने के लिए समय सीमा 21 दिन निर्धारित है। फिलहाल यह कानून के दायरे में दस विभागों की 50 सेवाओं को रखा गया है। लिहाजा सरकार ने अपने कर्मचारियों और अफसरों को के आवेदनों पर तेजी से काम करने की हिदायत दे दी है। (हि.ब्यू.)